

फार्म
अचल सम्पत्ति विवरणिका वर्ष 2016

क्रमांक 71

'प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 31/12/2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम- गिरजा शंकर अग्रवाल
4. वर्तमान वेतन-.29700 +4400 ;Basic&GP)

2. वर्तमान धारित पद- कार्यालय सहायक श्रेणी-एक
5. भविष्य निधि क्रमांक-21941009

3. कार्यालय का नाम :- मुख्य अभियंता (अउदा-निर्माण) जबलपुर
6. कर्मचारी संख्या-.89554520

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे | | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/ कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो, उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| न्यू साकार हिल कालोनी, सैनिक सोसाईटी शक्ति नगर रोड शहीद गुलाब सिंह वार्ड जबलपुर | डूप्लेक्स क्रमांक पी. 57, (कुल भूखण्ड ऐरिया 20X 40 = 800 वर्ग फीट.) | -- | लगभग 40 लाख रुपये | स्वयं एवं पत्नि के संयुक्त नाम से | पूर्ण रूप से निर्मित 3 बीएचके वाला डूप्लेक्स कुल राशि रु. 20 लाख में माह फरवरी-मार्च 2013 में क्रय किया गया। | -- | स्वयं के निवास हेतु |

हस्ताक्षर

नाम- गिरजा शंकर अग्रवाल
पद - कार्यालय सहायक श्रेणी-एक

'जहां लागू न हो काट दीजिय

" ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये

''' इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी- मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र.शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वाति की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवें ।